Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa
L.L.B. Part-II nd, Insurance Law, VIIIth Paper.

Q-2 Define Insurance. Give its characteristics and explain the importance of Insurance.
बीमा की परिभाषा कीजिए। उसकी विशेषताएँ बतलाइए तथा उसके महत्व की व्याख्या करें।

या

बीमा की परिभाषा दीजिए और वर्तमान व्यावसायिक युग में इसके महत्व पर प्रकाश डालें।

उत्तर- बीमा अधिनियम, 1938 में "बीमा" की परिभाषा नहीं दी गयी है। लेकिन मनुष्य का जीवन जोखिमों से भरा है और वह यह नहीं जानता कि कब आग लगने से, चोरी से, बाढ़ से, या अनेक प्रकार की प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित घटना से उसकी सम्पत्ति को हानि या क्षति हो जाये या दुर्घटना होने से शारिरिक या सामाजिक क्षति हो जाये। ऐसी परिस्थितियों में अग्नि बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, सेंधमारी बीमा, मोटर बीमा आदि अनेक प्रकार के सामान्य बीमा की पॉलिसियाँ ऐसे व्यक्ति को जो बीमाधारक होता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और वह कुछ सीमा तक भविष्य में होने वाली हानियों के प्रति निश्चिन्त हो सकता है, कि सम्पूर्ण क्षति उसको स्वयं वहन नहीं करनी पड़ेगी।

विभिन्न विद्वानों ने बीमा की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है, जिसका अध्ययन दो वर्गों में विभक्त कर दिया जा सकता है:-
(क) बीमा के कार्यों के दृष्टिकोण से, एवं
(ख) बीमा की संविदा के दृष्टिकोण से।

(क) बीमा के कार्य के आधार पर परिभाषा — आर. एस. शर्मा के अनुसार — "बीमा संभावित सिद्धान्त पर आधारित एक सहकारी व्यवस्था है जिसमें सबके सहयोग से हानिपूर्ति के निमित्त एक कोष निर्मित होता है और व्यक्तियों की जोखिमों को पुरे समुदाय में वितरित करके उन्हें निश्चितता प्रदान की जाती है।"

मैकलीन के अनुसार — "बीमा किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से वहन न की जा सकने वाली सम्भावित आर्थिक हानि को बड़ी संख्या में व्यक्तियों को बांटने का एक तरीका है।"

सर विलियम बेरिज के अनुसार — "बीमा जोखिमों के सामुहिक वहन को कहते हैं।"

जॉन मैगी के अनुसार — "बीमा एक योजना है, जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में सहयुक्त होकर व्यक्तियों के जोखिमों को सबसे ऊपर अंतरित करते हैं।"

Scanned with CamScanner

Pt. Lec. - Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Sahara
L.L.B. Part-IInd, Insurance Law, VIII th Paper

(ख) बीमा की संविदा के आधार पर परिभाषा — आज बीमा एक व्यवसाय है जो संविदा पर आधारित है। इस संविदा के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष को आकस्मिक घटनाओं के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है। इस दृष्टि से बीमा की इस परिभाषा को 'वैधानिक परिभाषा' कहते हैं।

मुख्य न्यायाधीश श्री टिण्डल के अनुसार — "बीमा एक संविदा है जिसके अनुसार बीमादार द्वारा एक निश्चित रकम दी जाती है और इसके प्रतिफल में किसी अनिश्चित घटना के उपस्थित होने पर एक बड़ा धन भुगतान करने का दायित्व बीमादाता अपने ऊपर लेता है।"

श्री शरद नारखेन के अनुसार — "बीमा उन जिम्मेदारी का फल है जो एक मनुष्य स्वयं अपने प्रति, अपने बाल-बच्चे के प्रति, अपने समाज तथा देश के प्रति महसूस करता है।"

ई. डब्लू. पैटरसन के अनुसार — "बीमा दो पक्षकारों के बीच की गयी एक संविदा है जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकार के विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लेखित घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम देने का वचन देता है।"

बीमा का महत्व (Importance of Insurance) — एक विद्वान ने कहा है — "मानव समाज के लिए बीमा वर्तमान युग की सबसे बड़ी देन है।" बीमा मनुष्य के लिए इतना उपयोगी हो गया है कि इसकी महत्ता का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। बीमा द्वारा सम्पूर्ण मानव समाज, देश तथा राष्ट्र का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लाभ होता है। बीमा विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित तरह से सहायता पहुँचता है —

व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दृष्टिकोण से बीमा का महत्व (Importance of individual and family point of view) —

(i) परिवार को आर्थिक रक्षा प्रदान करना — बीमा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे परिवार की बड़ी आर्थिक सुरक्षा होती है। प्रत्येक की यह इच्छा होती है कि उसकी पत्नी तथा बाल-बच्चों का जीवन सुखमय हो। बीमा कर लेने से वह निश्चिन्त और निर्भय हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी मृत्यु युवावस्था में ही हो जाता है तो बीमा कम्पनी द्वारा उसके परिवार को एक बड़ी रकम बीमाकृत धन के रूप में मिल जाती है जिससे उसके आश्रितों का भरण-पोषण हो जाता है।

(ii) वृद्धावस्था का सहारा — वृद्धावस्था में जब एक ओर मनुष्य की आय-शक्ति क्षीण हो जाती है और दूसरी तरफ उसके

Scanned with CamScanner

Pt. Lec. - Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa
L.L.B. Part IInd, Insurance Law, VIIIth Paper.

उत्तरदायित्व बढ़ने लगते हैं, तो ऐसी स्थिती में बीमा का एक छोटा-सा हिस्सा प्रिमियम के रूप में निगम (कम्पनी) को देता रहता है तो बुढ़ापा में उसे एक बड़ी रकम मिल जाती है जिससे वह अपने बुढ़ापे का समय सुख तथा चैन से बिता सकता है।

(iii) बाल-बच्चों की शिक्षा तथा शादी-विवाह की व्यवस्था — अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन-काल में ही बाल-बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए बीमा करा लेता है तब शिक्षा या विवाह का समय आने पर उसको एक बड़ी रकम निगम (कम्पनी) से मिल सकती है जिससे उसे कोई आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।

(iv) आत्म सम्मान में वृद्धि — बीमा करा लेने पर मनुष्य के आत्म सम्मान में वृद्धि होती है। लोगों के निगाह में उसका स्थान अच्छा होता है।

(v) मनुष्य को मितव्ययी बनाता है — जब मनुष्य बैंक में रूपया जमा करता है तब उसे थोड़ी ही आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल लेता है और वह धन जमा नहीं रह पाता है। लेकिन बीमा का हिसाब-किताब कुछ इस तरह का है कि उसमें अनिवार्य रूप से एक निश्चित रकम देनी ही पड़ती है क्योंकि न देने पर बीमा-पत्र रद्द हो जायगा और वह धन-पॉलिसी की तिथी खत्म होने पर मिलेगा।

(vi) इसमें सुरक्षा तथा विनियोग दोनों तत्वों का समावेश है — अगर बीमादार की मृत्यु हो जाये तब बीमाकृत धन परिवार को मिल जाता है और उसकी रक्षा होती है। अगर मृत्यु नहीं हुई, तब प्रिमियम के रूप में दिया गया धन बीमा की अवधि समाप्त होने पर उसे वापस दे दिया जाता है।

(vii) रूपया डूबने की शंका नहीं — जितना भी रूपया मनुष्य किसी बैंक में जमा करता है या किसी को कर्ज देता है, वह सिर्फ ब्याज सहित वापस होती है और उसके डूबने की उम्मीद ज्यादा रहती है, लेकिन बीमा में ऐसी बात नहीं है।

(viii) एक बड़ी रकम पाने की आशा — बीमा के अन्दर मनुष्य धीरे-धीरे अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा प्रिमियम के रूप में देता रहता है जो कि उसको उतना कष्टदायक मालूम नहीं होता है और इसके प्रतिफल के रूप में निगम (कम्पनी) से एक बड़ी रकम कुछ समय बाद प्राप्त हो जाती है।

(ix) आय-कर से छूट — प्रिमियम के रूप में जो रकम बीमादार चुकाता है, उस रकम पर वह आय-कर देने के दायित्व से छूट मिल जाता है।

—:—

Scanned with CamScanner